[2020] 9 एस. सी. आर 303

क.

सारिका

वी.

प्रशासक, महाकालेश्वर मंदर समिति, उज्जैन (एम. पी.) और ओ. आर. एस.

(2019 का एम. ए. सं. 1235)

(2018 की सिविल अपील No.4676) सितंबर 1,2020

ग

[अरुण मिश्रा**,** बी**.** आर**.** गवई और कृष्णा मुरारी**,** जे**.** जे**.]**

धार्मिक विरासत/स्मारक-श्री महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन में शिवलिंग का क्षरण-रोकथाम-सारिका बनाम प्रशासक, श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति, उज्जैन (एम. पी.) और अन्य में दिनांकित 02.05.2018 के आदेश के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त ए. एस. आई. और जी. एस. आई. के विशेषज्ञों से युक्त विशेषज्ञ समिति-4 एस. सी. आर. 634-के अनुपालन की निगरानी-आयोजित:विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मंदिर समिति की रिपोर्ट और उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, निर्देश जारी किए गए।

डी.

ई.

निर्देश जारी करते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़ना:विशेषज्ञ समिति द्वारा दिनांक **1** और मंदिर समिति की रिपोर्ट के साथ**-**साथ उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए**,** निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं:**- (i)** विशेषज्ञ समिति मंदिर का दौरा करेगी और **15** दिसंबर **2020** तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी**,** जिसमें शिवलिंग के बिगड़ने को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों और चंद्रनगेश्वर मंदिर सहित मंदिर संरचना के संरक्षण के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में बताया जाएगा।**((ii)** समिति एक वार्षिक सर्वेक्षण करेगी और इस न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।**((iii)** शिवलिंग के संरक्षण के लिए निर्देश।**((iv)** मंदिर समिति कोटी तीर्थ कुंड से फ़िल्टर और शुद्ध पानी उपलब्ध कराएगी और आवश्यक पी**.** एच**.** मान को बनाए रखेगी।**(v)** यदि आवश्यक हो तो सीबीआरआई**,** रुड़की को मंदिर का दौरा करने दें और अपने प्रस्ताव दिनांक **17.09.2019** के अनुसार एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।सी**.** बी**.** आर**.** आई**.,** रुड़की का निर्देशन ए**.** ने किया है।

च

जी.

एच.

छह महीने के भीतर संरचनात्मक स्थिरता के संबंध में एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करना।रु. की राशि। केंद्र सरकार द्वारा जितनी जल्दी हो सके, उसकी आवश्यकता के अनुसार **1** लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा।**(vi)** उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड, अपने दिनांक **27.08.2020** के पत्र के अनुसार, तुरंत महाकाल रुद्रसागर एकीकृत विकास दृष्टिकोण (चरण **I** और चरण **II)** शुरू करेगा और छह सप्ताह के भीतर इस न्यायालय को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और समय सीमा प्रस्तुत करेगा।**(vii)** आवश्यक मरम्मत, रखरखाव और सुधार के विवरण पर काम किया जाए और तुरंत किया जाए।कलेक्टर को अधीक्षक अभियंता और उपलब्ध वास्तुकार की मदद से इस उद्देश्य के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने दें।राज्य सरकार तुरंत निधि स्वीकृत करेगी।चार सप्ताह के भीतर एक उपयुक्त योजना और अनुमान तैयार किया जाए, और आवश्यक मरम्मत और रखरखाव का काम तत्काल किया जाए।**(viii)** विशेषज्ञ समिति ने आधुनिक परिवर्धन को हटाने का आदेश दिया, जैसा कि मद संख्या **20** में उल्लेख किया गया है।उन्हें हटा दिया जाएगा और मंदिर समिति **15** दिसंबर, **2020** तक इस न्यायालय में एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करेगी।**(ix)** मंदिर में मूल कार्य को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है।समिति द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार, **15** दिसंबर, **2020** तक नेत्रश्लेष्मला चित्रकला के संबंध में जीर्णोद्धार कार्य किया जाए। मंदिर समिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में मूल कार्य की ऐसी पेंटिंग और आवरण की अनुमति या सहारा न लिया जाए, विशेषज्ञ समिति द्वारा आपत्ति जताई गई।इस संबंध में **15** दिसंबर, **2020** तक इस न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।**(x)** उज्जैन के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक **500** मीटर के भीतर अतिक्रमण सुनिश्चित करेंगे।विशेषज्ञ समिति के सुझाव के अनुसार मंदिर परिसर के क्षेत्र को हटा दिया जाता है।**15** दिसंबर, **2020** तक आवश्यक कार्रवाई की जाए और इस न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।**(xi)** चंद्रनगेश्वर मंदिर के संरक्षण और रखरखाव के संबंध में, एक व्यापक योजना तैयार की जाए और उसे लागू किया जाए, और जानकारी के लिए इस न्यायालय को प्रस्तुत किया जाए।**(xii)** यदि गढ़ गृह में कोई क्षेत्र फिसलन भरा है, तो मंदिर समिति यह सुनिश्चित करेगी कि आवश्यक कार्य किए जाएं।**(xiii)** आदेश के पैरा **5** में चर्चा किए गए अन्य पहलुओं के साथ आवश्यक धार्मिक अनुष्ठानों को नियमित रूप से किया जाए।**[**पैरा **9] [308-**डी**-**एच**; 309-**ए**-**एच**; 310-**ए**-**जी**]**

ग

डी.

ई.

च

जी.

सारिका बनाम प्रशासक, श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति, उज्जैन (एम. पी.) और अन्य। [2018] 4 एससीआर 634 -

संदर्भित किया गया।

एच.

305

सारिका बनाम प्रशासक, महाकालेश्वर मंदर समिति, उज्जैन (एम. पी.) और ओ. आर. एस.

क.

निर्णीत विधि संदर्भ

[2018] 4 एससीआर **634**

संदर्भित किया गया है

पैरा **1**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2018 की सिविल अपील संख्या 4676 में 2019 की एम. ए. संख्या 1235।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 27.10.2016 के निर्णय से, 2014 की रिट अपील संख्या 37 में इंदौर की पीठ।

अदालत के प्रस्ताव द्वारा।

तुषार मेहता, एस. जी., सौरभ मिश्रा, ए. ए. जी., एस. बी. उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता, दिव्यकांत लाहोटी, नीरज शर्मा, रोहित के. सिंह, निशांत कुमार, सुश्री अंशरुता माहेश्वरी, अर्जुन गर्ग, सुश्री श्रुतिका गर्ग, राहुल कौशिक, गुरमीत सिंह मक्कर, रजत नायर, राज बहादुर यादव, श्रीमती अनिल कटियार, अतिशी दीपांकर, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ग

अरुण मिश्रा**,** जे।

डी.

1. यह न्यायालय 02.05.2018 पर सिविल अपील संख्या 4676/2018 में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश के अनुपालन की निगरानी कर रहा है।हमने उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में शिवलिंग के कटाव को रोकने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के विशेषज्ञों की एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है।विशेषज्ञ दल ने 19.01.2019 पर उज्जैन का दौरा किया।इसकी रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि पिछले निरीक्षण के बाद शिवलिंग का क्षरण हुआ था, और यह एक निरंतर प्रक्रिया है।पिछला निरीक्षण 2018 में किया गया था।जब निरीक्षण किया गया था तो समय अंतराल कम था।इस प्रकार, आगे कटाव की सीमा को मापा नहीं गया था।हालांकि, तथ्य यह है कि शिवलिंग का कुछ क्षरण हुआ था। हमने 19.08.2020 दिनांकित आदेश के माध्यम से मंदिर समिति से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।मंदिर समिति ने दिनांकित 19.01.2020 निरीक्षण रिपोर्ट में विशेषज्ञों की समिति द्वारा बताए गए विभिन्न उपायों पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है।चूंकि यह ध्यान दिया गया है कि लिंगम का क्षरण और क्षरण एक निरंतर प्रक्रिया है, जुलाई 2020 की तस्वीरें इंगित करती हैं कि लिंगम का और क्षरण हुआ था।श्री कार्तिकेयन के देवता के बगल में शिवलिंग का एक टुकड़ा काफी दिखाई देता है।यह मामला गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि लापरवाही से चढ़ाए गए प्रसाद के कारण ओंकारेश्वर मंदिर के लिंग को नष्ट कर दिया गया था।रिपोर्ट इंगित करती है कि भस्म आरती का पी. एच. मान 10.51 है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है और यह क्रिप्टोक्रिस्टलाइन के लिए प्रतिक्रियाशील है।

ई.

च

जी.

एच.

306

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 9 एस सी आर।

क.

कमरे के तापमान पर ऑर्थोक्वार्टज़ाइट की सिलिसियस सीमेंटिंग सामग्री और ज्योतिर्लिंगम में गिरावट का कारण बनती है। स्वच्छता और जल निकासी में सुधार की आवश्यकता थी।मुंड माला और सर्पकर्णह के वजन के कारण लिंगम का यांत्रिक क्षरण भी हुआ था।हालाँकि उनका वजन घटाकर आधा कर दिया गया है, लेकिन उनके मौजूदा वजन के कारण यांत्रिक घर्षण होता है। यह भी सुझाव दिया गया कि भक्तों द्वारा लिंग को रगड़ने पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाए।यह भी बताया गया कि मंदिर परिसर में आधुनिक शैली का निर्माण किया गया था, जिसे हटाने की आवश्यकता है।यह भी बताया गया कि मंदिर परिसर के भीतर आधुनिक निर्माण कार्य चल रहा था, जिसे रोकने और हटाने की आवश्यकता थी।मूल कार्य को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता भी महसूस की गई।दीवारों को रंगों से रंगा गया था, जो प्राचीन विरासत स्थल को खराब रूप दे रहा था।मंदिर के अंदर नेत्रश्लेष्मला चित्रकला के रूप में परिवर्धन किए गए थे, जिन्हें हटाया जाना बाकी था।यह बताया गया था कि घी, दूध, दही और शहद नियमित रूप से चढ़ाए जाते हैं।मंदिर प्रबंधन समिति ने तीर्थयात्रियों को शुद्ध और प्राकृतिक प्रसाद सामग्री प्रदान करने का निर्णय लिया है।उपचारात्मक उपायों की आवधिक समीक्षा की आवश्यकता थी।

ग

डी.

2. मंदिर समिति का कहना है कि भस्म आरती के दौरान कपड़े को शिवलिंग पर ढक दिया जाता है और उसके बाद आरओ पानी से साफ किया जाता है।वे गढ़ गृह में प्रवेश को विनियमित कर रहे हैं, और कोविड महामारी के दौरान, किसी भी प्रवेश की अनुमति नहीं है।वे मूल कार्य को बहाल कर रहे हैं, जो प्रगति पर है और तीन महीने के भीतर पूरा हो जाएगा।नेत्रश्लेष्मला चित्रों के संबंध में, उन्हें हटाने की प्रक्रिया चल रही है और तीन महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।मंदिर समिति ने समीक्षा करने के लिए मासिक बैठक करने का फैसला किया है।

ई.

3. 28.07.2019 की एक रिपोर्ट ने संकेत दिया कि परिसर में चंद्रनगेश्वर मंदिर भी अच्छी स्थिति में नहीं था, और मरम्मत कार्य की आवश्यकता थी।इसकी छत कमजोर हो गई है।

च

4. मंदिर समिति ने बताया कि विशेषज्ञों की टीम द्वारा आगे निरीक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि अंतिम निरीक्षण डेढ़ साल पहले किया गया था।विशेषज्ञों की टीम भोपाल में स्थित है।वे किसी भी समय मंदिर जा सकते हैं।उपचारात्मक उपायों और कटाव को रोकने और मंदिर संरचना को संरक्षित करने के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा आवधिक निरीक्षण आवश्यक है।यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिवलिंग पर कोई रगड़ न हो, पुजारी (जेनुपति, खुतपति), पुरोहित और उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए कि कोई भी आगंतुक या भक्त शिवलिंग को न रगड़ें।पूरी प्रक्रिया की एक वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ए

जी.

एच.

और इसे कम से कम छह महीने तक संरक्षित किया जाना चाहिए।मंदिर समिति आवश्यक पी. एच. मान बनाए रखने के लिए फिल्टर और शुद्ध किए गए कोटी तीर्थ कुंड से पानी प्रदान करेगी और अपने संसाधनों से दूध भी प्रदान करेगी ताकि देवता को शुद्ध दूध चढ़ाया जा सके।किसी भी आगंतुक को शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने की अनुमति नहीं होगी।

5. यह बताया गया कि कोविड-19 के दौरान, आगंतुकों और भक्तों को गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।लेकिन हमारी राय में, साथ ही, प्रथागत पुजारियों और पुरोहितों को अनुष्ठान करना चाहिए क्योंकि वे अनुष्ठानों को जानते हैं और पूजा और अर्चना में विशेषज्ञ हैं।जब मंदिर समिति अनुष्ठानों का विवरण तैयार करती है, तो मंदिर से संबंधित विभिन्न मामलों में उचित सहायता और मार्गदर्शन देने के लिए पारंपरिक पुजारी और पुरोहितों को समिति के साथ जोड़ा जाना चाहिए।हाल ही में, यह देखा गया है कि दुर्भाग्य से मंदिरों में आवश्यक अनुष्ठानों का प्रदर्शन सबसे उपेक्षित पहलू है, और नए पुजारी उन्हें नहीं समझते हैं; ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए।व्यावसायीकरण की कोई गुंजाइश नहीं है।असंख्य धार्मिक अनुष्ठान और समारोह नियमित रूप से किए जाने हैं।हम यह निर्देश नहीं दे सकते कि किस तरह की पूजा-अर्चना की जानी चाहिए, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा नियमित रूप से की जानी चाहिए।तदनुसार, हम निर्देश देते हैं कि मंदिर समिति ऊपर वर्णित तरीके से कार्य करे।

ग

डी.

6. मंदिर संरचना की स्थिरता के बारे में, मंदिर समिति ने बताया है कि 31.07.2019 पर, इस न्यायालय ने केंद्र सरकार को सीबीआरआई, रुड़की द्वारा मंदिर और विभिन्न संरचनाओं का निरीक्षण करने का निर्देश दिया।सीबीआरआई ने सितंबर 2019 में मंदिर का दौरा किया और एक संरचनात्मक मूल्यांकन प्रस्ताव प्रस्तुत किया और परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 12 महीने का समय मांगा।इसने रुपये की राशि का दावा किया है। 41.30 परियोजना शुल्क के रूप में लाख, अग्रिम रूप से भुगतान किया जाना है।प्रार्थना की गई है कि यह न्यायालय केंद्र सरकार को 500 करोड़ रुपये का खर्च वहन करने का निर्देश दे। 41.30 लाख, सी. बी. आर. आई. को भुगतान किया जाएगा। सी. बी. आर. आई. को उचित समय के भीतर अपनी परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है।भारत संघ की ओर से पेश हुए विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि केंद्र सरकार 500 करोड़ रुपये का खर्च वहन करेगी। 41.30 सी. बी. आर. आई., रुड़की को लाखों का भुगतान किया जाएगा।

ई.

च

जी.

7. मंदिर समिति की ओर से यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि सी. बी. आर. आई. के सुझाव के अनुसार मंदिर परिसर के भीतर मरम्मत और रखरखाव और अन्य निर्माण गतिविधियों को आगे बढ़ाना आवश्यक है। राज्य या केंद्र सरकार को उस उद्देश्य के लिए पर्याप्त धन का योगदान करने का निर्देश दिया जा सकता है, जिसमें संरक्षण भी शामिल है -

एच.

चंद्रनगेश्वर मंदिर।मंदिर समिति ने यह भी प्रार्थना की है कि 500 मीटर के क्षेत्र में अतिक्रमण किया जाए।विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के अनुसार मंदिर से हटाने की आवश्यकता होती है।संबंधित अधिकारियों को अतिक्रमणों को हटाना चाहिए और जनता और तीर्थयात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाओं के अलावा निर्माण पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।

8. मध्य प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने श्री महाकालेश्वर मंदिर और आसपास के क्षेत्रों के व्यापक विकास के लिए उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड (यू. एस. सी. एल.) द्वारा तैयार की गई एक विस्तृत योजना को रिकॉर्ड पर रखा है।इस परियोजना का नाम "महाकाल रुद्रसागर एकीकृत विकास दृष्टिकोण" (एम. आर. आई. डी. ए.) रखा गया है।उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सी. ई. ओ. द्वारा कलेक्टर को जारी किया गया दिनांक 27.08.2020 का पत्र रिकॉर्ड में रखा गया है, जिसमें उपर्युक्त परियोजना के चरण I और चरण II में विकास के लिए प्रस्तावित विभिन्न विकासों की ओर इशारा किया गया है।

ग

9. विशेषज्ञ समिति द्वारा दिनांक 1 और मंदिर समिति की रिपोर्ट के साथ-साथ उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

(i) कि विशेषज्ञ समिति मंदिर का दौरा करेगी और 15 दिसंबर 2020 तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसमें शिवलिंग के बिगड़ने को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों और चंद्रनगेश्वर मंदिर सहित मंदिर संरचना के संरक्षण के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में बताया जाएगा।

ई.

((ii) हम समिति को एक वार्षिक सर्वेक्षण करने और इस न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश देते हैं।

(iii) शिवलिंग को संरक्षित करने के लिए हम निर्देश देते हैं किः((क) किसी भी भक्त को शिवलिंग को रगड़ना नहीं चाहिए।(ख) मंदिर समिति यह सुनिश्चित करेगी कि भस्म आरती के दौरान भस्म के पी. एच. मान में सुधार हो और शिवलिंग को और बिगड़ने से बचाया जाए और लिंग को और नुकसान से बचाने के लिए सर्वोत्तम पद्धति को लागू किया जाए।(ग) मंदिर समिति यह सुनिश्चित करती है कि शिवलिंग को यांत्रिक घर्षण से बचाने के लिए मुंड माला और सर्पकर्णों का वजन और कम किया जाए। मंदिर समिति एक रास्ता निकालेगी और विचार करेगी कि क्या शिवलिंग पर धातु के मुंड माला का उपयोग करना आवश्यक है, या एक ए हो सकता है

च

जी.

एच.

309

सारिका बनाम प्रशासक, महाकालेश्वर मंदर समिति, उज्जैन (एम. पी.) और ओ. आर. एस. [अरुण मिश्रा, जे।] ए.

शिवलिंग को छुए बिना मुंड माला और सेर्पाकर्णह का उपयोग करें।यांत्रिक घर्षण को रोकने के लिए वजन को और कम करने की संभावना भी पाई जा सकती है।

(घ) भक्तों द्वारा शिवलिंग पर दही, घी, शहद रगड़ना भी कटाव का कारण है।यह उचित होगा कि समिति द्वारा केवल सीमित मात्रा में शुद्ध दूध डालने की अनुमति दी जाए।जबकि मंदिर की ओर से की जाने वाली पारंपरिक पूजा में सभी शुद्ध सामग्रियों का उपयोग किया जा सकता है।

(ई) पुजारी, जेनुपति, खुतपति, पुरोहित और उनके अधिकृत प्रतिनिधि यह सख्ती से सुनिश्चित करें कि कोई भी आगंतुक या भक्त किसी भी कीमत पर शिवलिंग को न रगड़ें।यदि यह किसी भक्त द्वारा किया जाता है, तो पुजारी या पुरोहित के साथ रगड़ना बंद नहीं करने के लिए जिम्मेदार होगा।मंदिर की ओर से की जाने वाली पारंपरिक पूजा और अर्चना के अलावा किसी को भी शिवलिंग को रगड़ना नहीं चाहिए।

ग

(च) गर्भगृह में पूजा और अर्चना की पूरी कार्यवाही को 24 घंटे वीडियो रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और कम से कम छह महीने तक संरक्षित किया जाना चाहिए।यदि किसी पुजारी, पुरोहित द्वारा कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो मंदिर समिति को उस पुजारी या पुरोहित के खिलाफ उचित कार्रवाई करने दें।

डी.

(छ) मंदिर समिति की ओर से सहमति के अनुसार, किसी भी भक्त द्वारा शिवलिंग पर पंचामृत नहीं डाला जाएगा।इसका उपयोग केवल पारंपरिक पूजा और शिवलिंग की अर्चना के दौरान किया जा सकता है।

ई.

(ज) मंदिर समिति आगंतुकों और भक्तों को चढ़ाने के लिए अपने संसाधनों से शुद्ध दूध प्रदान करेगी और उसके लिए व्यवस्था करेगी।समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए शिवलिंगम और संबंधित पुजारी/पुरोहित को कोई अशुद्ध या मिलावटी दूध नहीं दिया जाए।

च

((iv) मंदिर समिति कोटी तीर्थ कुंड से फ़िल्टर और शुद्ध पानी उपलब्ध कराएगी और आवश्यक पी. एच. मान को बनाए रखेगी। (v) यदि आवश्यक हो तो सीबीआरआई, रुड़की को मंदिर का दौरा करने दें और अपने प्रस्ताव दिनांक 17.09.2019 के

अनुसार एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।सीबीआरआई, रुड़की को छह महीने के भीतर संरचनात्मक स्थिरता के संबंध में एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।रु. की राशि। केंद्र सरकार द्वारा जितनी जल्दी हो सके, उसकी आवश्यकता के अनुसार 1 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा।

जी.

एच.

310

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 9 एस सी आर।

(vi) उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड को अपने दिनांकित 27.08.2020 के पत्र के अनुसार, महाकाली रुद्रसागर एकीकृत विकास दृष्टिकोण (चरण I और चरण II) को तुरंत शुरू करने और छह सप्ताह के भीतर इस न्यायालय को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और समय सीमा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

(vii) आवश्यक मरम्मत, रखरखाव और सुधार के विवरण पर काम किया जाए और उन्हें तुरंत पूरा किया जाए।कलेक्टर को अधीक्षक अभियंता और उपलब्ध वास्तुकार की मदद से इस उद्देश्य के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने दें।राज्य सरकार तुरंत निधि स्वीकृत करेगी।चार सप्ताह के भीतर एक उपयुक्त योजना और अनुमान तैयार किया जाए, और आवश्यक मरम्मत और रखरखाव का काम तत्काल किया जाए।

ग

(viii) विशेषज्ञ समिति ने आधुनिक परिवर्धन को हटाने का आदेश दिया, जैसा कि मद संख्या 20 में उल्लेख किया गया है।उन्हें हटा दिया जाएगा और मंदिर समिति 15 दिसंबर, 2020 तक इस न्यायालय में एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करेगी।

(ix) मंदिर में मूल कार्य को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है।समिति द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार, 15 दिसंबर, 2020 तक नेत्रश्लेष्मला चित्रकला से संबंधित जीर्णोद्धार कार्य किया जाए।मंदिर समिति को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में इस तरह की पेंटिंग और मूल काम के आवरण की अनुमति या सहारा न लिया जाए, जिस पर विशेषज्ञ समिति ने आपत्ति जताई है।इस संबंध में 15 दिसंबर, 2020 तक इस न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।(x) हम उज्जैन के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को 500 मीटर के भीतर अतिक्रमण सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं।विशेषज्ञ समिति के सुझाव के अनुसार मंदिर परिसर के क्षेत्र को हटा दिया जाता है।15 दिसंबर, 2020 तक आवश्यक कार्रवाई की जाए और इस न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

डी.

ई.

(xi) चंद्रनगेश्वर मंदिर के संरक्षण और रखरखाव के संबंध में, एक व्यापक योजना तैयार की जाए और उसे लागू किया जाए, और जानकारी के लिए इस न्यायालय को प्रस्तुत किया जाए।

च

(xii) यदि गढ़ गृह में कोई क्षेत्र फिसलन भरा है, तो मंदिर समिति यह सुनिश्चित करेगी कि आवश्यक कार्य किए जाएं।

जी.

(xiii) आदेश के पैरा 5 में चर्चा किए गए अन्य पहलुओं के साथ आवश्यक धार्मिक अनुष्ठानों को नियमित रूप से किया जाए।

जनवरी 2021 के दूसरे सप्ताह में अनुपालन रिपोर्ट की आगे की निगरानी और विचार के लिए मामले को सूचीबद्ध किया जाए।

दिव्या पांडे

निर्देश जारी किए गए।

एच.

311

[2020] 9 एस. सी. आर 311

क.

कौशिक चटर्जी बनाम.

हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस.

(स्थानांतरण याचिका (सीआरएल) 2019 का No.456) सितंबर 30,2020

[वी**.** रामसुब्रमण्यन**,** जे**.]**

स्थानांतरण याचिका-इसमें याचिकाकर्ता को दूसरे प्रतिवादी द्वारा नियुक्त किया गया था, जो एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी है और दायर किए गए आपराधिक मामलों में वास्तविक शिकायतकर्ता है-दूसरे प्रतिवादी-कंपनी द्वारा स्वीकृत तीन ऋण, उस अवधि के दौरान जब याचिकाकर्ता सेवा में था, दूसरे प्रतिवादी-कंपनी द्वारा दर्ज की गई तीन अलग-अलग शिकायतों का विषय बन गया-तीनों शिकायतें गुरुग्राम में दायर की गईं-जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने विभिन्न अन्य अपराधों के साथ विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी के आपराधिक अपराधों के लिए 3 प्राथमिकियों में आरोप पत्र दायर किया-याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुरुग्राम की अदालत में लंबित सभी तीन आपराधिक मामलों को नई दिल्ली के किसी भी सक्षम अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की-यह तर्क दिया गया कि इस संबंध में कार्रवाई का पूरा कारणतत्काल मामले में, उठाए गए अधिकार क्षेत्र के मुद्दे का प्रकार क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में से एक है-इसका उत्तर साक्ष्य द्वारा स्थापित किए जाने वाले तथ्यों पर निर्भर करता है-साक्ष्य द्वारा स्थापित किए जाने वाले तथ्य, या तो अपराध करने के स्थान से संबंधित हो सकते हैं या एस. एस. द्वारा निपटाई गई अन्य चीजों से संबंधित हो सकते हैं।177 संहिता के 184 तक-ऐसी परिस्थितियों में, यह न्यायालय क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर, साक्ष्य के मार्शलबद्ध होने से पहले भी स्थानांतरण का आदेश नहीं दे सकता है-इन प्रश्नों को अपराध की सुनवाई करने वाले न्यायालय के समक्ष उठाना पड़ सकता है और ऐसा न्यायालय उसी पर विचार करने के लिए बाध्य है-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एस. एस.461, 462 और 177 से 184 तक।

ग

डी.

ई.

च

जी.

स्थानांतरण याचिकाओं को खारिज करते हुए**,** अदालत ने

पकड़ना:**1.** चर्चा का परिणाम यह है कि **(i)** किसी "अपराध" या "अपराधी" पर मुकदमा चलाने के लिए अदालत की अधिकारिता का मुद्दा और साथ ही क्षेत्रीय अधिकारिता का मुद्दा**,** साक्ष्य के माध्यम से स्थापित तथ्यों पर निर्भर करता है **(ii)** कि यदि मुद्दा निम्नलिखित में से एक है **-**

एच.

311 ए.

क्षेत्रीय अधिकारिता**,** संहिता की धारा **177** से **184** में प्रतिपादित विभिन्न नियमों के संबंध में इसका निर्णय लिया जाना चाहिए और **(iii)** कि इन प्रश्नों को अपराध की सुनवाई करने वाले न्यायालय के समक्ष उठाना पड़ सकता है और ऐसा न्यायालय इस पर विचार करने के लिए बाध्य है।**[**पैरा **39] [324-**सी**-**डी**]**

2. जैसा कि अभिवचनों से देखा जाता है**,** वर्तमान मामलों में उठाए गए अधिकार क्षेत्र संबंधी मुद्दे का प्रकार क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में से एक है।इसका उत्तर साक्ष्य द्वारा स्थापित किए जाने वाले तथ्यों पर निर्भर करता है।साक्ष्य द्वारा स्थापित किए जाने वाले तथ्य या तो अपराध करने के स्थान से संबंधित हो सकते हैं या संहिता की धारा **177** से **184** द्वारा निपटाई गई अन्य बातों से संबंधित हो सकते हैं।ऐसी परिस्थितियों में**,** यह न्यायालय क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर हस्तांतरण का आदेश नहीं दे सकता है**,** इससे पहले कि साक्ष्य को मार्शल किया जाए।**[**पैरा **41] [324-**ई**-**एफ**]**

ग

अभिराम वीर बनाम पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड (2000) 10 एस. सी. सी. 433; असित भट्टाचार्जी बनाम हनुमान प्रसाद ओझा और अन्य। (2007)

डी.

5 एससीसी 786:[2007] 6 एस. सी. आर. 939; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम साबिर अली ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1673:[1964] 7 एससीआर 435;

रामनाथ सरदार बनाम रेखारानी सरदार **(1975)** आपराधिक कानून पत्रिका **1139;** राज कुमारी विज़ बनाम देव राज विज़

ए. आई. आर. 1977 एस. सी 1101:[1977] 2 एस. सी. आर. 997; पुरुषोत्तम

ई.

दास डालमिया बनाम पश्चिम बंगाल राज्य ए**.** आई**.** आर**. 1961** एस**.** सी**. 1589:**

[1962] 2 एस**.** सी**.** आर**. 101-**संदर्भित।निर्णीत विधि संदर्भ

(2000) 10 एस**.** सी**.** सी**. 433**

संदर्भित किया गया है

पैरा **15**

च

[2007] 6 एससीआर **939**

संदर्भित किया गया है

पैरा **16**

[1964] 7 एससीआर **435**

संदर्भित किया गया है

पैरा **29**

[1977] 2 एससीआर **997**

संदर्भित किया गया है

पैरा **35**

[1962] 2 एससीआर **101**

संदर्भित किया गया है

पैरा **35**

जी.

आपराधिक मूल न्यायनिर्णयः2019 की स्थानांतरण याचिका (आपराधिक) No.456।

एफ. आई. आर. संख्या 452 दिनांकित <आई. डी. 2 होने के कारण मामले के हस्तांतरण के लिए उच्चतम न्यायालय नियम 2013 के दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 आर/डब्ल्यू के S.406 के तहत दायर याचिका।

एच.

313

कौशिक चटर्जी बनाम हरियाणा राज्य और ओआरएस।

क.

सह

स्थानांतरण याचिका (सी. आर. एल.) 2019 की संख्या 666 और 681

दीपक ठुकराल, ए. ए. जी., विकास सिंह, नीरज किशन कौल, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री नंदादेवी डेका, विकास शर्मा, भारत भूषण, सुश्री दिव्या शर्मा, मृत्युंजय सिंह, सुश्री आकांक्षा कौल, सुश्री गरिमा बजाज, वरुण माथुर, आकाश लांबा, संस्कार अग्रवाल, मानेक सिंह, डॉ. मोनिका गुसैन, रजत भारद्वाज, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय दिया गयाः

निर्णय

ग

1. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुरुग्राम, हरियाणा की अदालत की फाइल पर लंबित तीन आपराधिक मामलों को नई दिल्ली के किसी भी सक्षम अदालत में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए, एक व्यक्ति जिसे उन तीन मामलों में अभियुक्तों में से एक के रूप में फंसाया गया है, उपरोक्त स्थानांतरण याचिकाओं के साथ आया है।

डी.

2. मैंने याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विकास सिंह, हरियाणा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री दीपक ठुकराल और वास्तविक शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नीरज किशन कौल को सुना है, जो इसमें दूसरे प्रतिवादी हैं।

3. इसमें याचिकाकर्ता को दूसरे प्रतिवादी के समूह मुख्य जोखिम अधिकारी-कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जो एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी है और जो आपराधिक मामलों में वास्तविक शिकायतकर्ता है जिसका स्थानांतरण इन याचिकाओं में मांगा गया है।यह ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ता, अपनी नियुक्ति पर, दूसरे प्रतिवादी-कंपनी के दिल्ली कार्यालय में 04.08.2016 पर शामिल हुआ और उसे 10.04.2017 पर मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया।याचिकाकर्ता ने जुलाई-2018 में इस्तीफा दे दिया।

ई.

च

4. याचिकाकर्ता के सेवा में रहने की अवधि के दौरान दूसरे प्रतिवादी-कंपनी द्वारा स्वीकृत तीन ऋण, दूसरे प्रतिवादी-कंपनी द्वारा दर्ज की गई तीन अलग-अलग शिकायतों का विषय बन गए।तीनों शिकायतें दूसरे प्रतिवादी द्वारा स्टेशन हाउस ऑफिसर, सिविल लाइन्स, गुरुग्राम पी. एस. के पास दर्ज की गई थीं। आसान मूल्यांकन के उद्देश्य से, ऋण और उधारकर्ता के विवरण के साथ-साथ एफ. आई. आर. के विवरण सारणीबद्ध कॉलम में निम्नानुसार दिए गए हैं:

जी.

एच.

क.

एस. नं.		एफआइआर नं. शिकायत किए गए अपराध	उधार लीजिए।	एस कार्रवाई की तिथि	ऋण की राशि
	1. 452/2018 धारा 406,	408, 420, 120-बी आर/डब्ल्यू आई. पी. सी. की धारा 34।	जिलियन इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	26.10.2016	रु. 4,30,00,000/-
2		748/2017 114, 120-बी, 406,420,467,468,471 और आई. पी. सी. की धारा 216।	अल-फतह टूर एंड ट्रेवल्स	22.09.2019	Rs.71,50,000/-
3			356/2019 आई. पी. सी. की धारा 120-बी, 406,408,420,387 आर/डब्ल्यू धारा 34		होटल एमएस.
30.12.2016	Rs.46,00,000/-				
28.12.2017	रुपये. 5,13,594 -				

ग

5. जाँच पूरी होने के बाद, पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 406,408,420,120-बी के तहत कथित अपराधों के लिए एफ. आई. आर. में 14.12.2018 पर आरोप पत्र दायर किया।

डी.

(इसके बाद "आई. पी. सी". के रूप में संदर्भित)।

6. इसी तरह, आई. पी. सी. की धारा 114,120-बी, 406,420,467,468,471 और 216 के तहत कथित अपराधों के लिए 2017 की एफ. आई. आर. में आई. डी. 2 पर आरोप पत्र दायर किया गया था। इसी तरह आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 120-बी, 406,408,420,387 के तहत अपराधों के लिए एफ. आई. आर. No.356/2019 में <आई. डी. 2 पर आरोप पत्र दायर किया गया था।

ई.

7. पुलिस ने पहले मामले में 06.01.2020 पर और तीसरे मामले में 08.11.2019 पर पूरक आरोप पत्र भी दायर किए।

8. यह तर्क देते हुए कि (i) गुरुग्राम में कार्रवाई का कोई कारण उत्पन्न नहीं हुआ ताकि वास्तविक शिकायतकर्ता गुरुग्राम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर सके; (ii) जहां पहला ऋण दिल्ली में स्वीकृत किया गया था, दूसरा ऋण इंदौर में स्वीकृत किया गया था और तीसरा ऋण सूरत में स्वीकृत किया गया था, गुरुग्राम में कुछ भी नहीं हुआ, जिससे वास्तविक शिकायतकर्ता को जांच एजेंसी और गुरुग्राम में अदालत के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने का अधिकार मिला; (iii) कि दूसरे प्रतिवादी-वास्तविक शिकायतकर्ता ने जानबूझकर गुरुग्राम में शिकायत दर्ज की है, क्योंकि वास्तविक शिकायतकर्ता के प्रवर्तक का गुरुग्राम में बहुत प्रभाव है और (iv) कि याचिकाकर्ता को गुरुग्राम में निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी, याचिकाकर्ता उपरोक्त स्थानांतरण याचिकाओं के साथ आया है।

च

जी.

एच.

315

कौशिक चटर्जी बनाम हरियाणा राज्य और ओआरएस।

क.

9. इस प्रकार, प्रभावी रूप से, हस्तांतरण की मांग मुख्य रूप से 2 आधारों पर की जाती है, अर्थात् (i) क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी और (ii) पक्षपात की आशंका।

10. लेकिन याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विकास सिंह ने इस आरोप के इर्द-गिर्द घूमते हुए कि दूसरा प्रतिवादी गुरुग्राम में स्थानीय रूप से बहुत प्रभाव रखता है और याचिकाकर्ता को निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी, दूसरे आधार पर काम करने के लिए दबाव नहीं डाला।यह मुझे पेपर बुक के हिस्से के रूप में मेरे सामने दायर किए गए कुछ वॉट्सऐप संदेशों की प्रतिलिपि को रिकॉर्ड पर लाने की परेशानी से बचाता है।

11. श्री विकास सिंह, विद्वान वरिष्ठ वकील, ने मुझे ऋण समझौतों के बारे में बताया, जिसके तहत दूसरे प्रतिवादी-कंपनी ने विषय ऋणों को मंजूरी दी और तर्क दिया कि तीनों ऋण समझौतों में, समझौते के निष्पादन का स्थान, ऋणदाता का शाखा कार्यालय और उधारकर्ता का पता इंगित किया गया है।उदाहरण के लिए, 26.10.2016 दिनांकित ऋण समझौता जिसके तहत ज़िलियन इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (जो कि एफ़. आई. आर. No.452/2018 का विषय-वस्तु है) को सुविधाएँ दी गई थीं, समझौते के निष्पादन का स्थान और ऋणदाता के शाखा कार्यालय का पता दिल्ली में होने का संकेत दिया गया है। उधारकर्ता के साथ-साथ सह-उधारकर्ता का पता भी दिल्ली में बताया गया है।जिस बैंक की शाखा में ऋण राशि का चेक निकाला गया था, वह भी दिल्ली में थी।

ग

डी.

12. इसी तरह जिस ऋण समझौते के तहत होटल एम. एस. (जो तीसरी एफ. आई. आर. की विषय वस्तु है) को सुविधा प्रदान की गई थी, वह समझौते का स्थान और ऋणदाता का शाखा कार्यालय इंदौर होने का संकेत देता है।उधारकर्ता का पता भी उसमें इंदौर में बताया गया है।ऋणदाता का पता बॉम्बे में होने का संकेत है।

ई.

13. जहां तक ऋण समझौते का संबंध है, जिसके तहत अल फतह टूर्स एंड ट्रेवल्स (दूसरी एफ. आई. आर. की विषय वस्तु) तक सुविधाओं का विस्तार किया गया था, समझौते का स्थान और ऋणदाता का शाखा कार्यालय सूरत में बताया गया है। उधारकर्ता का पता सूरत में बताया गया है और ऋणदाता का पता मुंबई में बताया गया है।

च

जी.

14. इसलिए, याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील श्री विकास सिंह ने तर्क दिया कि एक मामले के संबंध में कार्रवाई का पूरा कारण दिल्ली में उत्पन्न हुआ, दूसरे मामले के लिए कार्रवाई का पूरा कारण इंदौर में उत्पन्न हुआ और तीसरे मामले के लिए कार्रवाई का पूरा कारण सूरत में उत्पन्न हुआ।उनके द्वारा यह भी तर्क दिया जाता है कि वास्तविक शिकायतकर्ता का गुरुग्राम में एक कार्यालय भी नहीं था और दूसरा प्रतिवादी है

एच.

316

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 9 एस सी आर।

क.

इस न्यायालय के समक्ष भी दावा करके झूठी गवाही का दोषी, जैसे कि उनका गुरुग्राम में एक कार्यालय है।याचिकाकर्ता ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत दूसरे प्रतिवादी के अधिकारियों पर उनके दावे के माध्यम से झूठी गवाही देने के लिए मुकदमा चलाने के लिए एक आवेदन भी लिया है कि दूसरे प्रतिवादी का गुरुग्राम में एक कार्यालय है।15. दूसरे प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नीरज किशन कौल ने तर्क दिया कि यह सवाल कि क्या कार्रवाई के कारण का कोई हिस्सा गुरुग्राम में अदालतों के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर उत्पन्न हुआ है, तथ्य का सवाल है जिसे साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए और इसे स्थानांतरण याचिकाओं में नहीं डाला जा सकता है।इस प्रस्ताव के समर्थन में उन्होंने अभिराम मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया

ग

वीर बनाम पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन

निगम लिमिटेड 1 ने यह भी तर्क दिया कि जहां तक जिलियन इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड को दिए गए ऋण का संबंध है, प्रतिभूति के रूप में दी गई संपत्ति गुरुग्राम में स्थित है और दूसरा प्रतिवादी वास्तव में एक कंपनी के कार्यालय स्थान को साझा कर रहा था जो दूसरे प्रतिवादी की एक 100% सहायक कंपनी है।इसलिए, यह उनका तर्क है कि कोई गलत बयान कभी नहीं दिया गया था।यह आगे तर्क दिया जाता है कि उधारकर्ता जो इन मामलों में प्रमुख आरोपी भी हैं, उन्होंने स्थानांतरण की मांग नहीं की है और इसलिए याचिकाकर्ता स्थानांतरण की मांग करने का हकदार नहीं है।

डी.

16. हरियाणा राज्य के विद्वान स्थायी वकील ने दूसरे प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील की दलीलों को पूरा किया और असिट में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया।

ई.

भट्टाचार्जी बनाम हनुमान प्रसाद ओझा और अन्य। **2.**

17. मैंने प्रतिद्वंद्वी विवादों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है।

18. जैसा कि अभिवचनों और प्रतिद्वंद्वी दलीलों से देखा जाता है, याचिकाकर्ता मुख्य रूप से क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर स्थानांतरण चाहता है।जबकि दीवानी मामलों में क्षेत्रीय अधिकारिता का सवाल मुख्य रूप से (i) कार्रवाई का कारण; या (ii) मुकदमे की विषय वस्तु का स्थान या (iii) प्रतिवादी का निवास आदि, जैसा भी मामला हो, के इर्द-गिर्द घूमता है, आपराधिक मामलों में क्षेत्रीय अधिकारिता का सवाल (i) अपराध करने के स्थान या (ii) उस स्थान के इर्द-गिर्द घूमता है जहां किसी अधिनियम का परिणाम, दोनों अपराध का गठन करते हैं, या (iii) वह स्थान जहां आरोपी पाया गया था या (iv) वह

स्थान जहां पीड़ित पाया गया था या (v) वह स्थान जहां संपत्ति पाई गई थी जिसके संबंध में अपराध किया गया था, या (vi) वह स्थान जहां अपराध किया गया था।

च

जी.

1 2000 (10) एससीसी 433। 2 2007 (5) एससीसी 786 ए

एच.

317

कौशिक चटर्जी बनाम हरियाणा राज्य और ओआरएस।

अपराध की विषय वस्तु बनाने वाली संपत्ति को, जैसा भी मामला हो, वापस करने या उसका हिसाब आदि देने की आवश्यकता थी।

19. जबकि एक दीवानी अदालत की अधिकारिता (i) क्षेत्रीय और (ii) आर्थिक सीमाओं द्वारा निर्धारित की जाती है, एक आपराधिक अदालत की अधिकारिता (i) अपराध और/या (ii) अपराधी द्वारा निर्धारित की जाती है।लेकिन दीवानी मामलों में उठाए गए अधिकार क्षेत्र के सवाल और आपराधिक मामलों में उत्पन्न होने वाले अधिकार क्षेत्र के सवाल के बीच मुख्य अंतर दो गुना है।

(i) पहला यह है कि जिस स्तर पर अधिकार क्षेत्र, क्षेत्रीय या आर्थिक के रूप में आपत्ति उठाई जा सकती है, उसे विनियमित किया जाता है -

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 21 द्वारा दीवानी कार्यवाही।दंड प्रक्रिया संहिता में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21 के समान कोई प्रावधान नहीं है।

ग

(ii) दूसरा यह है कि दीवानी कार्यवाही में, आदेश VII, नियम 10, सी. पी. सी. के तहत एक शिकायत को उचित अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है।

कार्यवाही का कोई भी चरण।लेकिन आपराधिक कार्यवाही में**,** संहिता की धारा **201** के तहत एक मजिस्ट्रेट के लिए एक सीमित शक्ति उपलब्ध है**,**

डी.

शिकायत वापस करें।शक्ति इस अर्थ में सीमित है **(**ए**)** कि यह संज्ञान लेने से पहले उपलब्ध है**,** क्योंकि धारा **201** शब्दों का उपयोग करती है।

“ मजिस्ट्रेट जो संज्ञान लेने के लिए सक्षम नहीं है और (बी) कि

शक्ति केवल शिकायतों तक सीमित है, क्योंकि धारा 2 (डी) द्वारा परिभाषित "शिकायत" शब्द में "पुलिस रिपोर्ट" शामिल नहीं है।

ई.

20. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय XIII में पूछताछ और परीक्षणों में आपराधिक न्यायालयों की अधिकारिता से संबंधित प्रावधान हैं।संहिता (i) जांच; (ii) जांच; और (iii) परीक्षण के बीच अंतर रखती है।"जांच" और "जांच" शब्दों को संहिता की धारा 2 के खंड (जी) और (एच) में क्रमशः परिभाषित किया गया है।

च

21. जांच और परीक्षणों में आपराधिक न्यायालयों की अधिकारिता के संबंध में संहिता की धारा 177 से 184 (अध्याय XIII में निहित) में निर्धारित सिद्धांतों को सरल शब्दों में संक्षेपित किया जा सकता हैः(1) प्रत्येक अपराध की जांच और मुकदमा आम तौर पर उस न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में यह किया गया था।यह नियम धारा 177 में पाया जाता है।धारा 177 में पाई गई "स्थानीय अधिकारिता" अभिव्यक्ति को धारा 2 (जे) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है "किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के संबंध में, वह स्थानीय क्षेत्र जिसके भीतर न्यायालय या मजिस्ट्रेट संहिता के तहत अपनी सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है"।

जी.

(2) उस स्थान के बारे में अनिश्चितता के मामले में, जिसमें कई स्थानीय क्षेत्रों में से एक अपराध किया गया था, न्यायालय ने

एच.

क.

ऐसे किसी भी स्थानीय क्षेत्र की अधिकारिता ऐसे अपराध की जांच या मुकदमा चला सकती है।

(3) जहां कोई अपराध आंशिक रूप से एक क्षेत्र में और आंशिक रूप से दूसरे क्षेत्र में किया जाता है, वहां इसकी जांच या मुकदमा ऐसे किसी भी स्थानीय क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।

(4) एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में किए गए निरंतर अपराध के मामले में, ऐसी किसी भी स्थानीय क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायालय द्वारा इसकी जांच या मुकदमा चलाया जा सकता है।

(5) जहाँ एक अपराध में विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्य शामिल हैं, वहाँ इसकी जाँच या मुकदमा अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।

ग

ऐसे किसी भी स्थानीय क्षेत्र में।(संख्या 2 से 5 का पता धारा 178 से लगाया जा सकता है)

(6) जहां किए गए कार्य के कारण कुछ अपराध है, साथ ही साथ जो परिणाम सामने आया है, तो अपराध की जांच या मुकदमा उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर या तो कार्य किया गया था या परिणाम सामने आया था।(धारा179)

डी.

(7) ऐसे मामलों में जहां कोई कार्य एक अपराध है, किसी अन्य कार्य के साथ इसके संबंध के कारण जो एक अपराध भी है, तो पहले उल्लिखित अपराध की जांच या मुकदमा उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर कोई भी कार्य किया गया था।(धारा 180)

ई.

(8) डकैती, हत्या के साथ डकैती, हिरासत से भागने आदि जैसे कुछ मामलों में, अपराध की जांच की जा सकती है और उस अदालत द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में या तो अपराध किया गया था या आरोपी व्यक्ति पाया गया था।

(9) अपहरण या अपहरण के अपराध के मामले में, इसकी जांच या मुकदमा उस अदालत द्वारा किया जा सकता है जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में व्यक्ति का अपहरण किया गया था या उसे पहुँचाया गया था या छिपाया गया था या हिरासत में लिया गया था।

च

(10) चोरी, जबरन वसूली या डकैती के अपराधों की जांच या मुकदमा उस अदालत द्वारा किया जा सकता है जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में अपराध किया गया था या चोरी की गई संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया था, प्राप्त किया गया था या उसे बनाए रखा गया था।(11) आपराधिक गबन या आपराधिक विश्वासघात के अपराध की जांच या मुकदमा उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में अपराध किया गया था या संपत्ति का कोई हिस्सा प्राप्त किया गया था या रखा गया था या आरोपी व्यक्ति द्वारा उसे वापस करने या हिसाब देने की आवश्यकता थी।

जी.

एच.

319

कौशिक चटर्जी बनाम हरियाणा राज्य और ओआरएस।

क.

(12) एक अपराध जिसमें चोरी की गई संपत्ति का कब्जा शामिल है, की जांच या मुकदमा उस अदालत द्वारा किया जा सकता है जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में अपराध किया गया था या चोरी की गई संपत्ति किसी भी व्यक्ति के पास थी, यह जानते हुए कि यह चोरी की गई संपत्ति है।(संख्या 8 से 12 हैं

धारा 181 में पाया गया)

(13) एक अपराध जिसमें धोखाधड़ी शामिल है, यदि पत्रों या दूरसंचार संदेशों के माध्यम से किया जाता है, तो किसी भी न्यायालय द्वारा जांच या मुकदमा चलाया जा सकता है जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर ऐसे पत्र या संदेश भेजे गए थे या प्राप्त किए गए थे।

(14) धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के अपराध की जांच या मुकदमा उस अदालत द्वारा किया जा सकता है जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में संपत्ति उस व्यक्ति द्वारा दी गई थी जिसे धोखा दिया गया था या आरोपी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया था।

ग

(15) विवाह से संबंधित कुछ अपराध जैसे कि आई. पी. सी. की धारा 494 (पति या पत्नी के जीवन काल के दौरान फिर से विवाह करना) और आई. पी. सी. की धारा 495 (पूर्व विवाह को छिपाकर धारा 494 के तहत अपराध करना) की जांच या मुकदमा उस अदालत द्वारा किया जा सकता है जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में अपराध किया गया था या अपराधी पिछली बार पहली शादी से जीवनसाथी के साथ रहा था।(संख्या 13 से 15 पाई जाती हैं।

डी.

धारा 182 में)

(16) यात्रा या यात्रा के दौरान किए गए अपराध की जांच या मुकदमा किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में वह व्यक्ति या वस्तु उस यात्रा के दौरान पारित हुई हो या

ई.

यात्रा।(धारा 183)।

(17) धारा 219 (उसी के तीन अपराध) के तहत आने वाले मामले

बारह महीने के अंतराल के भीतर प्रतिबद्ध प्रकार चाहे संबंध में हो

च

एक ही व्यक्ति का या न का), धारा 220 (एक से अधिक अपराधों का करना, एक ही लेन-देन के रूप में एक साथ किए गए कार्यों की एक श्रृंखला में) के तहत आने वाले मामले और धारा 221 के तहत आने वाले मामले, (जहां यह संदेह है कि क्या अपराध किए गए हैं), किसी भी अपराध की जांच या मुकदमा चलाने के लिए सक्षम किसी भी न्यायालय द्वारा जांच या मुकदमा चलाया जा सकता है।

जी.

(धारा 184)।

21. धारा 177 से 184 के अलावा, जो विस्तृत रूप से निर्धारित की गई है, अधिकारिता से संबंधित नियमों, संहिता के अध्याय XIII में कुछ अन्य धाराएं भी शामिल हैं।धारा 185 राज्य सरकार को किसी भी जिले में मुकदमे के लिए किए गए किसी भी मामले या मामलों के वर्ग को किसी भी सत्र प्रभाग में मुकदमा चलाने का आदेश देने का अधिकार देती है।धारा 186 सशक्त बनाती है

एच.

320

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 9 एस सी आर।

क.

उच्च न्यायालय, ऐसे मामले में जहां 2 या अधिक न्यायालयों ने एक ही अपराध का संज्ञान लिया है और यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि उनमें से किसे अपराध की जांच या मुकदमा चलाना चाहिए, उस जिले का निर्णय करने के लिए जहां जांच या मुकदमा होगा। धारा 187 मजिस्ट्रेट की शक्तियों की बात करती है, उस मामले में जहां किसी व्यक्ति ने अपने स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर, अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कोई अपराध किया है, लेकिन ऐसी अधिकार क्षेत्र के भीतर इसकी जांच या मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।धारा 188 और 189 भारत के बाहर किए गए अपराधों से संबंधित हैं।

22. दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XIII में क्षेत्रीय अधिकारिता से संबंधित नियमों को इतने विस्तार से निर्धारित करने के बाद, अनियमित कार्यवाहियों के भविष्य के बारे में अध्याय XXXV में प्रावधान किए गए हैं।यह उस अध्याय XXXV में है कि किसी को इस सवाल का जवाब खोजना होगा कि क्या होता है जब कोई न्यायालय जिसके पास कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं होता है, किसी अपराध की जांच या मुकदमा करता है।

ग

23. धारा 460 9 अनियमितताओं को सूचीबद्ध करती है, जो यदि मजिस्ट्रेट द्वारा सद्भावना से की जाती है, तो उसकी कार्यवाही को दूषित नहीं कर सकती है।धारा 461 में 17 अनियमितताओं को सूचीबद्ध किया गया है, जो यदि मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती हैं, तो पूरी कार्यवाही अमान्य हो जाएगी।धारा 461 का खंड (1) महत्वपूर्ण है और यह इस प्रकार है:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

"यदि कोई मजिस्ट्रेट, जो इस संबंध में कानून द्वारा सशक्त नहीं है, निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करता है, अर्थात्:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

———————

(एल) एक अपराधी पर मुकदमा चलाता हैः

———————

उसकी कार्यवाही शून्य होगी "

24. इसके बाद धारा 462 आती है, जो गलत सत्र प्रभाग या जिले या स्थानीय क्षेत्र में हुई कार्यवाही को बचाती है।लेकिन यह इस शर्त के अधीन है कि गलती के कारण न्याय की कोई विफलता नहीं हुई है।धारा 462 इस प्रकार हैः

च

“462. गलत जगह पर कार्यवाही।–

किसी भी आपराधिक न्यायालय के किसी भी निष्कर्ष, सजा या आदेश को केवल इस आधार पर दरकिनार नहीं किया जाएगा कि जिस जांच, मुकदमे या अन्य कार्यवाही के दौरान यह किया गया था या पारित किया गया था, वह गलत सत्र प्रभाग, जिला, उप-प्रभाग या अन्य स्थानीय क्षेत्र में हुआ था, जब तक कि यह प्रतीत न हो कि ऐसी त्रुटि ने वास्तव में न्याय की विफलता का कारण बना है।"

जी.

एच.

321

कौशिक चटर्जी बनाम हरियाणा राज्य और ओआरएस।

क.

25. धारा 461 (1) और धारा 462 का सरसरी अध्ययन यह धारणा देता है कि कुछ विसंगति है।धारा के खंड (1) के तहत

461 यदि मजिस्ट्रेट को कानून द्वारा किसी अपराधी पर मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं है,

गलत तरीके से उसका मुकदमा चलाया जाए तो उसकी कार्यवाही रद्द हो जाएगी।एक कार्यवाही जो है

धारा 461 के तहत शून्य को धारा 462 द्वारा बचाया नहीं जा सकता है।फोकस

धारा 461 के खंड (1) की धारा "अपराधी" पर है न कि "अपराध" पर।यदि खंड (1) ने "अपराधी पर मुकदमा चलाता है" शब्दों के बजाय "अपराध की कोशिश करता है" शब्दों का उपयोग किया था, तो परिणाम अलग हो सकता था।26. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 460, जो नौ अनियमितताओं को सूचीबद्ध करती है जो कार्यवाही को दूषित नहीं करती हैं, तीन स्थानों अर्थात् खंड (बी), (डी) और (ई) में "अपराध" शब्द का उपयोग करती है।धारा 460 में एक बार भी "अपराधी" शब्द का उपयोग नहीं किया गया है।

ग

27. इसके विपरीत धारा 461 में 'अपराध' शब्द का उपयोग केवल एक बार किया गया है, अर्थात् खंड (ए) में, लेकिन खंड (एल) और (एम) में दो बार 'अपराधी' शब्द का उपयोग किया गया है।इसलिए, यह स्पष्ट है कि यदि किसी अपराधी पर मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमा चलाया जाता है जो उस ओर से कानून द्वारा सशक्त नहीं है, तो उसकी कार्यवाही धारा 461 के तहत अमान्य होगी।धारा 462 धारा 461 में कुछ भी निहित होने के बावजूद उसमें निहित सिद्धांत को बल नहीं देती है।

डी.

28. संहिता की धारा 26 अपराधों को दो श्रेणियों में विभाजित करती है अर्थात् (i) आई. पी. सी. के तहत अपराध और (ii) किसी अन्य विशेष कानून के तहत अपराध।जहां तक आई. पी. सी. के तहत अपराधों का संबंध है, धारा 26 के खंड (ए) में

कहा गया है कि उन पर मुकदमा (i) उच्च न्यायालय या (ii) सत्र न्यायालय या (iii) किसी अन्य न्यायालय द्वारा चलाया जा सकता है, जिसके द्वारा इस तरह के अपराध को पहली अनुसूची में दिखाया गया है जिसे विचारण योग्य माना जाएगा।किसी अन्य कानून के तहत अपराधों के संबंध में, धारा 26 के खंड (बी) में कहा गया है कि उन पर ऐसे विशेष कानून में विशेष रूप से उल्लिखित न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाएगा।यदि विशेष कानून उस न्यायालय के बारे में चुप है जिसके द्वारा उसका मुकदमा चलाया जा सकता है, तो ऐसे अपराध का मुकदमा या तो उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा चलाया जा सकता है जिसके द्वारा इस तरह के अपराध को पहली अनुसूची में परीक्षण योग्य दिखाया गया है।

ई.

च

29. लेकिन धारा 26 का खंड (ए) संहिता के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए उसमें निहित प्रावधान करता है।इसलिए, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम साबिर अली 3 में इस न्यायालय के समक्ष एक प्रश्न उठा कि क्या उत्तर प्रदेश निजी वन अधिनियम, 1948 के तहत अपराध के लिए प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा विशेष अधिनियम की धारा 15 (2) के आलोक में अमान्य थी। अनुभाग

जी.

3 ए. आई. आर 1964 एस. सी. 1673 ए

एच.

322

15(2) उत्तर प्रदेश निजी वन अधिनियम ने अधिनियम के तहत अपराधों को केवल द्वितीय या तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य बना दिया।हालाँकि उस मामले में पूरा मुकदमा द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के समक्ष हुआ था, लेकिन निर्णय सुनाने से पहले उन्हें प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान की गई थीं।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (जैसा कि उस समय था) की धारा 530 (पी) के तहत कार्यवाही अमान्य थी।यह ध्यान देने योग्य है कि 1973 की संहिता की धारा 461 (1) 1898 की संहिता की धारा 530 (पी) के समान है।

30. जो अब 1973 की संहिता की धारा 26 का खंड (ए) है, वही 1898 की संहिता की धारा 28 थी।इन दोनों के बीच एकमात्र अंतर यह है कि 1898 की संहिता की धारा 28 दूसरी अनुसूची के आठवें स्तंभ को संदर्भित करती है, लेकिन 1973 की संहिता की धारा 26 (ए) पहली अनुसूची को संदर्भित करती है।

ग

31. इसी तरह, 1973 की संहिता की धारा 26 का खंड (बी) कुछ और नहीं बल्कि 1898 की संहिता की धारा 29 है।

डी.

32. 1898 की संहिता और 1973 की संहिता से ध्यान देने योग्य बात यह है कि 1898 की संहिता की धारा 28 और 29 और 1973 की संहिता की धारा 26 द्वारा निपटाए गए अधिकार क्षेत्र का प्रश्न केवल अपराध से संबंधित है, न कि अपराधी से। किसी अपराध पर मुकदमा चलाने की न्यायालय की शक्ति सीधे 1973 की संहिता की धारा 26 के खंड (ए) और (बी) द्वारा शासित होती है, क्योंकि यह 1898 की संहिता की धारा 28 और 29 द्वारा शासित थी।

ई.

33. दूसरे शब्दों में, आपराधिक न्यायालय की अधिकारिता आम तौर पर अपराध से और कुछ मामलों में अपराधी से संबंधित होती है, जैसे कि ऐसे मामले जहां अपराधी किशोर है (धारा 27) या जहां पीड़ित महिला है [धारा 26 के खंड (ए) का परंतुक]। लेकिन धारा 461 (1) अपराधी पर केंद्रित है न कि अपराध पर।

च

34. 1973 की संहिता की धारा 462 में निहित बचत खंड 1898 की संहिता की धारा 531 के समान है।1898 की संहिता की धारा 531 के आलोक में, कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष रामनाथ सरदार बनाम रेखारानी सरदार 4 मामले में एक प्रश्न उठा, कि किस स्तर पर न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति उठाई जा सकती है और उस पर विचार किया जा सकता है।उस मामले में, एक याचिका में मजिस्ट्रेट के समक्ष क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति उठाई गई

जी.

4 (1975) आपराधिक कानून जर्नल 1139 ए

एच.

323

कौशिक चटर्जी बनाम हरियाणा राज्य और ओआरएस।

पति के खिलाफ पत्नी द्वारा दायर भरण-पोषण को मजिस्ट्रेट द्वारा गुण-दोष और धारा 531 में बचत खंड के आधार पर खारिज कर दिया गया था।लेकिन उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 531 किसी गलत अधिकार क्षेत्र में किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा निर्णय या निष्कर्ष या आदेश पर पहुंचने के बाद ही लागू होगी और यदि किसी भी कार्यवाही में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र पर कोई आपत्ति ली जाती है, तो मजिस्ट्रेट का कर्तव्य होगा कि वह उससे निपटे।

35. राज कुमारी विज़ बनाम देव राज विज़ 5 में, जो पति के खिलाफ भरण-पोषण के लिए पत्नी द्वारा दायर एक मामले से भी उत्पन्न हुआ था, मजिस्ट्रेट ने साक्ष्य दर्ज करने से पहले अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर निर्णय लेने के अनुरोध को खारिज कर दिया। वास्तव में मजिस्ट्रेट ने एक आदेश पारित किया जिसमें कहा गया था कि अधिकार क्षेत्र के सवाल को पूरे मामले में साक्ष्य की रिकॉर्डिंग का इंतजार करना चाहिए।अंततः मजिस्ट्रेट ने अभिनिर्धारित किया कि उनके पास आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र था।वह उक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के कारणों में से एक यह था कि पति द्वारा दायर जवाब में पत्नी के इस आरोप का कोई विशेष खंडन नहीं था कि पक्षकार आखिरी बार उसके अधिकार क्षेत्र में एक साथ रहे थे।जब मामला अंततः इस न्यायालय में पहुँचा, तो इस न्यायालय ने पुरुषोत्तम दास डालमिया बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 6 के निर्णय पर भरोसा करते हुए कहा कि एक आपराधिक न्यायालय के लिए दो प्रकार के अधिकार क्षेत्र के मुद्दे हैं, अर्थात् (i) विशेष प्रकार के अपराधों का मुकदमा चलाने की न्यायालय की शक्ति के संबंध में अधिकार क्षेत्र और (ii) इसकी क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र।

ग

डी.

ई.

36. राज कुमारी विज़ (उपर्युक्त) मामले में इस न्यायालय द्वारा विशेष रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विशेष प्रकार के अपराधों पर मुकदमा चलाने की न्यायालय की शक्ति के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रश्न मामले की जड़ तक जाता है और इसका कोई भी उल्लंघन पूरे मुकदमे को अमान्य कर देगा।हालाँकि, इस न्यायालय के अनुसार, क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र "किसी विशेष न्यायालय के काम के संबंध में प्रशासनिक दृष्टिकोण, अभियुक्त की सुविधा और गवाहों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुविधा का विषय है, जिन्हें न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना है।"37. दो अलग-अलग प्रकार के क्षेत्राधिकार के मुद्दों के बीच इस तरह का अंतर करने के बाद, इस न्यायालय ने उस मामले में निष्कर्ष निकाला कि जहां एक मजिस्ट्रेट के पास किसी विशेष अपराध का मुकदमा चलाने की शक्ति है, लेकिन विवाद पूरी तरह से उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित है, तो मामला आम तौर पर 1898 की संहिता की धारा 531 (1973 की संहिता की वर्तमान धारा 462) के तहत बचत खंड द्वारा कवर किया जाएगा।

च

जी.

5 ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 1101 6 ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1589

एच.

क.

38. उपरोक्त चर्चा से यह विचार करना संभव है कि "अपराध का प्रयास" शब्द धारा 461 (1) में "अपराधी का प्रयास" शब्दों की तुलना में अधिक उपयुक्त हैं।ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी अपराध पर मुकदमा चलाने की अधिकारिता की कमी को धारा 462 द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है और इसलिए धारा 461, तार्किक रूप से, एक मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध के मुकदमे को शामिल कर सकती थी, जिसे ऐसा करने के लिए कानून द्वारा सशक्त नहीं किया गया था, कई मदों में से एक के रूप में जो कार्यवाही को शून्य बनाता है।इसके विपरीत, एक अदालत द्वारा एक अपराधी के मुकदमे को धारा 462 के कारण बचाया जा सकता है, बशर्ते कि अदालत के लिए उक्त अपराधी पर मुकदमा चलाने के लिए कोई अन्य बाधा न हो (जैसे कि धारा 27 में)। लेकिन धारा 461 (1) मजिस्ट्रेट की कार्यवाही को अमान्य बना देती है, यदि वह किसी अपराधी पर मुकदमा चलाता है, जब कानून द्वारा ऐसा करने का अधिकार नहीं है।

ग

39. लेकिन जो भी हो, उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह है कि (i) किसी "अपराध" या "अपराधी" पर मुकदमा चलाने के लिए अदालत की अधिकारिता का मुद्दा और साथ ही क्षेत्रीय अधिकारिता का मुद्दा, साक्ष्य के माध्यम से स्थापित तथ्यों पर निर्भर करता है (ii) यदि मुद्दा क्षेत्रीय अधिकारिता का है, तो इसका निर्णय संहिता की धारा 177 से 184 में उल्लिखित विभिन्न नियमों के संबंध में किया जाना है और (iii) इन प्रश्नों को अपराध का मुकदमा चलाने वाले न्यायालय के समक्ष उठाना पड़ सकता है और ऐसा न्यायालय इस पर विचार करने के लिए बाध्य है।

डी.

40. कानूनी स्थिति पर ध्यान देने के बाद, मुझे अब मामलों पर वापस आने दें।

ई.

41. जैसा कि अभिवचनों से देखा गया है, अधिकारिता के मुद्दे का प्रकार, जो हाथ में मामलों में उठाया गया है, कम से कम अब तक क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में से एक है।इसका उत्तर साक्ष्य द्वारा स्थापित किए जाने वाले तथ्यों पर निर्भर करता है।साक्ष्य द्वारा स्थापित किए जाने वाले तथ्य या तो अपराध करने के स्थान से संबंधित हो सकते हैं या संहिता की धारा 177 से 184 द्वारा निपटाई गई अन्य बातों से संबंधित हो सकते हैं।ऐसी परिस्थितियों में, यह न्यायालय क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर हस्तांतरण का आदेश नहीं दे सकता है, इससे पहले कि साक्ष्य को मार्शल किया जाए।इसलिए स्थानांतरण याचिकाएं खारिज की जा सकती हैं।तदनुसार, उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है।

च

42. हालाँकि, यह दोनों पक्षों के लिए खुला है कि वे क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का मुद्दा उठाएँ, तथ्य के प्रश्नों पर साक्ष्य का नेतृत्व करें जो संहिता की धारा 26 के साथ पठित धारा 177 से 184 के दायरे में आ सकते हैं और एक निष्कर्ष आमंत्रित कर सकते हैं। उपरोक्त टिप्पणियों के साथ स्थानांतरण याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

जी.

एच.

अंकित ज्ञान

स्थानांतरण याचिकाएँ खारिज कर दी गईं।